न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–न्यायालय सं0 1, रामपुर

दाण्डिक (प्रकीर्ण) जमानत प्रार्थना पत्र सं0–129/2026

(रजिस्ट्रेशन नं0 222/2026)

पवन उर्फ अम्बे पुत्र हेमराज निवासी ग्राम लोहापट्टी भागीरथ थाना मिलक जिला रामपुर ----आवेदक–अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य -----विपक्षी

धारा 3(5),109(1)बी०एन०एस०
धारा 60(1), 72 आबकारी अधिनियम
थाना पटवाई, जिला रामपुर
मुकदमा अपराध सं0 10/2026

आदेश

आवेदक–अभियुक्त **पवन** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध सं0 10/2026 धारा– 3(5),109(1) भारतीय न्याय संहिता, धारा 60(1), 72 आबकारी अधिनियम थाना पटवाई, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन के साथ श्रीमती राधा देवी का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है और न ही खारिज हुआ है।

मैंने आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा पत्रावली एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 09.01.2025 को वादी उ0नि0 रूप सिंह हमराही पुलिसकर्मियों को गश्त के दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि काफी समय से रामपुर जनपद में शराब की दुकानें काटने वाला गिरोह सक्रिय है, जिसका मुख्य सरगना सोमपाल पुत्र हेमराज है, जो अपने साथियो के साथ मिलकर जनपद में अलग–अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और इन्होंने कुछ समय पहले ग्राम मतवाली में देशी शराब की दुकान को काटा था। आज वही लोग यहाँ से सहबिया कलां जाने वाली रोड से कमालपुर जाने वाले रास्ते पर वाहनों के साथ खड़े दिखाई दिये हैं। उनके पास नाजायज असलाह भी हो सकते हैं। मुखबिर की इस सूचना से प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराकर अतिरिक्त फोर्स की मांग की गयी, कुछ समय बाद अन्य पुलिस बल मौके पर उपस्थित आये, जिन्हें मुखबिर खास की सूचना से अवगत कराकर समस्त फोर्स को ब्रीफ किया गया। आने–जाने वाले डम्फरों व ट्रक चालकों को रोककर गवाही हेतु साथ चलने के लिये कहा गया तो कोर्ट–कचहरी व भलाई–बुराई का वास्ता देकर, सभी अपने–अपने रास्ते चल दिये। इस पर पलिसकर्मियों ने आपस में जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु तो नहीं है और मुखबिर के बताये गये स्थान की ओर चल दिये। जब पुलिस वाले ग्राम बुडपुर से कमालपुर जाने वाले मोड़ से दाहिने मुड़कर आगे जाकर कुछ दूर शमशान की ओर जाने वाली चकरोड के मोड़ पर पहुँचे तो मुखबिर ने वाहनों को रूकवाया और वाहनों को छोड़कर, मुखबिर के साथ–साथ घने कोहरे में आगे की ओर चकरोड पर चल दिये। जब हम पुलिस वाले कुछ कदम ही चले थे कि एक चार पहिया वाहन की लाइटों

की रोशनी नजर आयी, जहाँ कुछ व्यक्ति हलचल कर रहे थे, लेकिन घने कोहरे के कारण कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। पुलिस वाले दबे पांव बिना आवाज किये, धीरे–धीरे वाहन की ओर बढ़े तो दो से तीन व्यक्ति शमशान से कुछ सामान खड़े हुये वाहन में लोड कर रहे थे। पुलिस वाले जैसे ही उनकी ओर बढ़े तो पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि पुलिस आ गयी है, सालो मारो गोली नहीं तो पकड़े जायेंगे। इस पर उन व्यक्तियों द्वारा पुलिस वालों को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस वाले बाल–बाल बचे। पुलिस वालों ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। सूचना देकर अन्य थानों से पुलिस बल तत्काल मौके पर भेजने हेतु अवगत कराया गया। पुलिस वालों द्वारा तत्परता से चारों तरफ से बदमाशों को घेरकर ललकारते हुये आत्मसर्मपण करने के लिये कहा गया, परन्तु उनमें से एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन मोटरसाईकिल स्टार्ट नहीं हुयी तो वह व्यक्ति मोटरसाईकिल छोड़कर भागने लगा तथा एक व्यक्ति खड़े वाहन छोटा हाथी के अन्दर बाडी में खड़ा था तथा एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर केबिन से उतरकर भाग रहा था तथा अन्य दो व्यक्ति एक दिशा मे भाग रहे थे, जिनका पुलिसकर्मियों ने पीछा किया तथा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अन्य को पुलिस वालों द्वारा दोबारा से कारतूस भरने का मौका दिये बगैर घेर घोटकर दबिश देकर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो टैम्पू के अन्दर खड़े व्यक्ति ने अपना नाम सोमपाल पुत्र हेमराज बताया, जिसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ, जिसमें ताजा चले कारतूस की गंध आ रही थी तथा तमंचे के अन्दर एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर फंसा था तथा दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं बायीं जेब से 400 रूपये बरामद हुये। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अहसान पुत्र इदरीश बताया, जिसकी जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल फोन इनफिनिक्स स्मार्ट कम्पनी बरामद हुआ व बायीं जेब से 750 रूपये बरामद हुये। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजा पुत्र छत्रपाल बताया, जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकड़ा एक अदद तमंचा 315 बोर, नाल में एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, जींस की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, बायीं जेब से एक अदद मोबाइल फोन इन्फिन्किस कम्पनी तथा पिछली जेब से 800 रूपये बरामद हुये। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम नरेश पुत्र गिरधारी बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहनी जींस की दाहिनी जेब में रखा एक अदद चाकू नाजायज तथा पीछे की जेब से 320 रूपये बरामद हुये। कुछ समय बाद हे0 का0 लोकेश कुमार व हे0 का0 कुलदीप कुमार आये, जिन्होंने बताया कि एक व्यक्ति घने कोहरे व रात्रि का फायदा उठाकर जंगल मे भागने मे कामयाब रहा। पकड़े गये 01 अदद छोटा हाथी सं0 UP 15CT 3616 टाटा ऐस को पुलिस वालों द्वारा टॉर्चों की रोशनी से चैक किया गया तो टैम्पू के पीछे बॉडी के अन्दर 10 पेटी शराब, जिसके गत्ते पर DISTILLED BLENDED AND PACKED BY RADICO KHAITAN LTD BAREILLY ROAD RAMPUR MADE IN INDIA लिखा था, जिनको खोलकर देखा गया तो प्रत्यके पेटी के अन्दर 45 पव्वे गत्ते के धारिता 200 मि.ली. मस्तीह देशी शराब (मसाला) एम.आर.पी. 75 रूपये कुल 450 पव्वो बिना लेबिल लगे थे तथा पकड़े गये व्यक्तियों की निशानदेही पर शमशान घाट की झाडियों में बने गड्ढे से झाड़ियां हटाकर 08 पेटी शराब, जिसमें से 03 पेटी शराब मस्तीह देशी शराब (मसाला) प्रत्येक में 45 पव्वे गत्ते के धारिता 200 मि.ली. एम.आर.पी. 75 रूपये बिना लेबिल लगे, 04 पेटी 28 बन्टी बबली धारिता 200 मि.ली. प्रत्येक में 45 पव्वे गत्ते के एम.आर.पी. 60 रूपये बिना लेबिल लगे तथा 01 पेटी कैटरीना देशी शराब धारिता 200 मि.ली. तीव्रता 25 प्रतिशत प्रत्येक में 45 पव्वे गत्ते के एम. आर.पी. 60 रूपये बिना

लेविल लगे बरामद हुये। पकड़े गये व्यक्तियों की निशानदेही पर ही बरामद छोटा हाथी को चैक करने पर उसके केबिन पर रखे दो अदद लोहे की राड (सब्बल) बरामद हुयी तथा ड्राइविंग सीट के नीचे सफेद पन्नी में कॉपर का तार 950 ग्राम बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों ने **भागे हुये व्यक्ति का नाम पवन उर्फ अम्बे** पुत्र हेमराज बताया तथा यह भी बताया कि साहब हम सभी पांचों लोग काफी समय से जनपद के अलग–अलग थाना क्षेत्रों में शराब की दुकान व अन्य दुकानों की दिन में रैकी कर, रात को सब्बल की मदद से कुम्बल लगाकर चोरी कर, सामान इसी गाड़ी में ले जाकर किसी सुनसान जगह या जंगल में छिपा देते हैं तथा फिर रात में इसी छोटे हाथी में शराब की पेटियां भरकर अपने साथी नरेश पुत्र गिरधारी, जोकि ग्राम मढौली के मझरा में शराब की दुकान पर बतौर सेल्समैन कार्यरत है, की दुकान पर रखवा देते हैं, जिसको नरेश अपनी शराब की दुकान पर ही चोरी छिपे इन शराब के पव्वों को बेच देता है तथा इससे जो भी मुनाफा मिलता है, उसे सब लोग आपस में बांट लेते हैं और इसी मोटरसाईकिल UP 22D 0918 से हम लोग दिन में रैकी करते हैं। नवम्बर माह में ग्राम ऐमी मिलक जनपद रामपुर में सब्बल से दुकान काटकर देशी शराब की पेटियों की चोरी की थी, जिसको छोटे हाथी में भरकर शमशान की झाडियों में लाकर रख दिया था। इसमें से कुछ शराब हम लोग पीने के लिये अपने–अपने घर ले गये थे तथा बाकी बची शराब में से अधिकतर शराब नरेश के ठेके पर भिजवाकर, बिकवा दी, जिसके पैसे आपस में बांटकर खर्च कर लिये तथा उनमें से 03 पेटी शराब की बच गयीं थी, जो अभी यहीं आपके सामने हैं। यह भी बताया कि नवम्बर माह के अन्त में हम लोगों ने ग्राम सिलई बडागांव मिलक की शराब की दुकान में कूंबल लगाकर, शराब की पेटियां चोरी की थीं, जिसमें से कुछ हमने पी लीं तथा कुछ राह चलतों को बेचकर, मिले पैसों को खर्च कर दिया था तथा इमसें से कुल 03 पेटी शराब बची थी, जो हमने यही शमशान मे लाकर झाडियों में छिपा दी थी। यह भी बताया कि दिसम्बर माह की पहली तारीख को हमने थाना खजुरिया के ग्राम बेगमाबाद की शराब की दुकान में चोरी की थी तथा उनमें से कुछ शराब हम लोग पी गये तथा कुछ राह चलते लोगों को बेच दी, जिसके बाद 02 पेटी शराब बची थी, जो हमने यहीं शमशान की झाडियों में लाकर छिपा दी थी। इसके बाद हम पाचों लोगों ने सब्बल की मदद से ग्राम महमूदपुर की एक दुकान, जोकि बैल्डिंग की थी, में रखे जनरेटर के एल्टीनेटर को खोलकर उसमें से कॉपर का तार चोरी कर लिया था, उस दुकान से ज्यादा माल मिलने की उम्मीद थी, पर नहीं मिला। छोटा हाथी की ड्राइविंग सीट के नीचे से बरामद हुआ कॉपर का वही तार है, जो हमने जनरेटर के एल्टीनेटर से निकाला था। इसके बाद हमने लगभग 20 दिन पहले ग्राम मतवाली की देशी शराब की दुकान की दिन में रैकी की थी और उसके बाद रात में दुकान में पीछे से कूंबल लगाकर, मस्तीह ब्रांड की देशी शराब की पेटियां चोरी की थीं और उन सभी पेटियों को छोटे हाथी में भरकर यहीं शमशान की झाडियों में रखवा दिया था और इसके बाद रात के समय थोड़ी–थोड़ी करके, लगभग 20 से 25 पेटी नरेश की दुकान पर रखवाकर नरेश के माध्यम से ग्राहकों को बिकवा दी थीं, जिसके पैसे मौज–मस्ती में खर्च कर लिये। उस दुकान की चोरी की गयी शराब की पेटियों में से 05 पेटी शराब बची है, सभी बची शराब आज हम लोग इसी छोटे हाथी में भरकर ग्राम मढौली का मझरा में स्थित देशी शराब की दुकान, जहाँ पर नरेश सैल्समैन है, पर ले जाने की फिराक में थे, परन्तु आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा ग्राम मतवाली में देशी शराब की दुकान में कूंबल लगाकर देशी शराब की पेटियों को चोरी करने का इकबाल किया है और जो देशी शराब की 05 पेटियां पकड़े गये व्यक्ति द्वारा शेष बतायी गयी हैं, बरामद हुयी हैं, वह वादी उप निरीक्षक द्वारा की जा रही मु0 अ 0 स 0 07/26 धारा 331 (4)/305 (a) बी०एन०एस०

थाना पटवाई जनपद रामपुर की विवेचना से मेल खाती है। कॉपर का तार उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह द्वारा मु0अ0स0 214/25 धारा 331/305 (a)बी०एन०एस० थाना पटवाई जनपद रामपुर की विवेचना से मेल खाता है। पकड़े गये व्यक्ति शराब को रखने व बेचने का लाईसेंस नहीं दिखा सके। मौके पर मौजूद वाहन 01 अदद छोटा हाथी न0 UP 15CT 3616 टाटा ऐस व 01 अदद मोटरसाईकिल सिल्वर रंग न0 UP 22D 0918 के कागजात भी दिखाने में असफल रहे। पकड़े गये व्यक्तियों को उनके अपराध से अवगत कराते हुये पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा बरामद माल को अलग–अलग रखकर शील सर्वे मोहर किया गया एवं फर्द बरामदगी मौके पर ही टोर्चों की रोशनी में ही तैयार की गयी। उक्त समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी वादी के मोबाइल फोन से उ0नि0 श्री राहुल कुमार द्वारा ई साक्ष्य एप के माध्यम से अपलोड की गयी। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण सोमपाल, अहसान, राजा, नरेश व पवन उर्फ अम्बे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह घटनास्थल पर गिरफ्तार नहीं हुआ है और उसे घटनास्थल से भाग जाना कहा गया है। कथित पुलिस मुठभेड़ की घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। उसने शराब की कोई चोरी नहीं की है और न ही उसके पास से शराब आदि की बरामदगी हुयी। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह–अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक–अभियुक्त के विरुद्ध, सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, विभिन्न सरकारी शराब की दुकानों में चोरियाँ करने, पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, मौके से बरामद छोटा हाथी एवं अभियुक्तगण की निशानदेही पर कुल 18 पेटी देशी शराब बरामद होने का कथानक है। प्रस्तुत मामले में किसी पुलिसकर्मी को कोई फायर की चोट आना नहीं कहा गया है। आवेदक–अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है तथा उसे मौके से भाग जाना कहा गया है। घटना एवं बरादमगी का कोई जनसाक्षी भी नहीं बताया गया है। आवेदक–अभियुक्त के विरुद्ध जो आपराधिक मुकदमे पंजीकृत होना बताये गये हैं, उनमें उसे जमानत पर होना कहा गया है तथा अपने कथनों के समर्थन में जमानत आदेशों की छायाप्रतियाँ भी संलग्न की गयी है। आवेदक–अभियुक्त को किसी मामले में सजायाफ्ता होना नहीं बताया गया है। आवेदक–अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 13.01.2026 से जेल में निरूद्ध बताया गया है। सह–अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय दिनांक 25–02–2026 को स्वीकृत की जा चुकी हैं।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

तदनुसार आवेदक–अभियुक्त **पवन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मामले की अन्तर्वस्तु दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त द्वारा **अंकन 75,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू,** सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग दाखिल करने

पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– दौरान विचारण वह विचारण में नियत होने वाली तिथियों एवं किसी साक्षी की उपस्थिति की दशा में उसके द्वारा अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा और न ही अभियोजन साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ करेगा।

2– आवेदक–अभियुक्त न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि पर स्वयं या द्वारा अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

3– आवेदक–अभियुक्त आरोप, धारा 351 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

दिनांक: 11–03–2026

(अजय कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश–न्यायालय सं0 1
रामपुर